कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला ग्वालियर म0प्र0

क्रमांक/क्यू/स्टैनो/ए.डी.एम./299/2020 ग्वालियर दिनांक: 13/04/2020

।। आदेश।।
(अन्तर्गत धारा 144 दंड प्रकिया संहिता)

ग्वालियर जिले में कोरोना वायरस महामारी पर प्रभारी नियंत्रण, बचाव एवं उपचार हेतु लॉक डाउन को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन अनुसार दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश क्रमांक क्यू/स्टेनो/एडीएम/धारा 144-8/2020 दिनांक 25.3.2020 द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये थे, जिसमें वर्णित अपवादों को छोड़कर ग्वालियर जिले में सभी व्यक्तियों को अपने घर में ही रहने हेतु आदेशित किया गया था तथा सम संख्यक आदेश क्रमांक 225 दिनांक 26.3.2020 द्वारा रवि फसल को दृष्टिगत रखते हुए, आदेश क्रमांक 229 दिनांक 27.03.2020 द्वारा खाद्य एवं औषधि संस्थान/उद्योगों को दृष्टिगत रखते हुए, आदेश क्रमांक 231 दिनांक 28/3/2020 एवं द्वारा खाद्य आपूर्ति हेतु आटा/मसाला पिसाई केन्द्रों को दृष्टिगत रखते हुए, आदेश क्रमांक 242 दिनांक 29.3.2020 द्वारा सब्जी मंडी में सब्जी विक्रय संबंधी तथा आदेश क्रमांक 247 दिनांक 30.03.2020 द्वारा कृषिकार्य हेतु बीज, उर्वरक आदि की पूर्ति हेतु दी प्रतिबंधों में शिथिलता प्रदाय की गयी थी । उक्त के साथ-साथ दिनांक 31.03.2020, 02.04.2020, 04.04.2020, 05.04.2020,06.04.2020, 07.04.2020, 9.4.2020, 10.04.2020 11.04.2020, 12.04.2020 द्वारा भी आंशिक संशोधन किया गया था, जिसकी अवधि दिनांक 14.04.2020 की रात्रि 12.00 बजे तक निर्धारित की गयी थी।

2/ आज दिनांक 13.04.2020 को ग्वालियर जिले की स्थिति की समीक्षा उपरांत उसमें निम्नानुसार जोड़ा जाता है :-

ग्वालियर जिले मे सभी समाचार-पत्र वितरकों को लॉक डाउन की अवधि में प्रातः 09.00 बजे से 12.00 बजे तक अपने ग्राहको से शुल्क भुगतान लेने हेतु आवाजाही की अनुमति रहेगी। इस दौरान सभी समाचार-पत्र वितरकों को अपना परिचय-पत्र जो उन्हें संस्थान द्वारा प्रदाय किया गया हो साथ में रखना अनिवार्य होगा। संबंधित पाठक ऑन लाइन या शुल्क भुगतान हेतु उपस्थित हॉकर्स को राशि का भुगतान कर सकेंगे। पाठकों को संस्थान पर जाकर राशि भुगतान किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।

3/ शेष आदेश यथावत रहेगा :-

4/ यह आदेश ग्वालियर जिले में निवासरत प्रत्येक नागरिक को सम्यक् रूप से व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं है अतः सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन ग्वालियर अपने-अपने विभागीय माध्यमों से उक्त आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें। अपर संचालक जन संपर्क जिले से प्रकाशित सभी समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में निशुल्क प्रकाशन और प्रसारण कराया जाना सुनिश्चित करें।

5/ उक्त आदेश दिनांक 13.04.2020 की रात्रि 12.00 बजे से दिनांक 16.04.2020 की रात्रि 12.00 बजे तक प्रभावशील रहेगा। आदेश के उल्लंघन की दशा में भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

(जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित)

(किशोर कन्याल)
अपर जिला मजिस्ट्रेट
जिला ग्वालियर मप्र

क्रमांक/क्यू/स्टैनो/ए.डी.एम./ /2020 ग्वालियर दिनांक- 13/04/2020

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, गृह विभाग, मंत्रालय बल्लभ भोपाल
2. आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर
3. एडीजी/आईजी ग्वालियर रेंज, ग्वालियर
4. पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर
5. आयुक्त नगर निगम ग्वालियर
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर
7. समस्त अपर कलेक्टर/एडीएम
8. समस्त इन्सीडेंट कमान्डर्स
9. जिला खाद्य नियंत्रक, ग्वालियर
10. सचिव कृषि उपज मंडी समिति ग्वालियर
11. अपर संचालक, जन सम्पर्क, गवालियर
12. सभी दैनिक/साप्ताहिक समाचार-पत्र

अपर जिला मजिस्ट्रेट
जिला ग्वालियर मप्र

Scanned with CamScanner